

## STEINITUT EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

स- 396] No. 396] नई दिल्ली, सीगवार, सितम्बर 25, 1995/जारियन 3, 1917 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 1995/ASVINA 3, 1917

#### गृह मैधालय

#### अधिमुनना

नई किल्नो, 25 सितम्बर, 1995

सा- का- वि- 665 हैं में हैं - केन्द्रीय सरकार, गोधा, दमा और दीव है प्रशासनह अधानवम, 1962 ई 1962 का 1है की धारा 6 दारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात समान विरोधी क्रियाक्याण नियारण और्णनियम.
1985 है 1985 का गुजरात अधानियम, मैं० 16हें है गुजरात क्रिवेशन ऑफ र्टिंग्नेशियन एक्टंगबर्टी ज एक्ट, 1985 है गुजरात एक्ट नै० 6 ऑफ 1985 है का, जैसा वह इस अधिसूचना की तारील को गुजरात राज्य में प्रवृत्त है, निम्नीलंकित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए दमण और दीव संग राज्य क्षेत्र की विस्तार करती है, अर्थात्:-

#### उपा न्तरण

- गुजरात समात्र विरोधी क्रियाकलाप निनारण आधानयम, 1985 में, जब तक कि मंदर्भ ने अन्यथा अरेक्षित
   म हो:-
  - ईक8 धारा 2 के सण्ड्रशाई के जिल्लाय, "सरकार" शब्द और "राज्य सरकार" शब्दी के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जास्या:

(1)

- हैस है संक्षिप्त नाम मैं के सिवाय "गुजरात" शब्द के स्थान पर "दमण और दीव संप राज्य क्षेत्र" शब्द रखे आएंगे;
- १प१ "या पुलिस आयुक्त" शन्दौ का नहीं-नहीं थे आते हैं, लोग किया नारगा ।
- थारा । मैं, उपधारा है उ के स्थान पर निम्नितिसित रखा जास्माः -"है उ के त्रन्त प्रयुक्त होगा ।"
- 3. धारा 2 में ---
  - हुक है सण्डहक है के सण्डहक कह के रूप मैं पुनः संख्याकित किया जारमा और इस प्रकार पुनः संख्याकित सण्डहक कह से पूर्व, निम्नोलीसत सण्ड अन्तःस्थापित किया जारमा, अर्थातः-
    - कुँ "प्रशासक" से सीवधान के अनुविध्द 239 के अधीन राष्ट्रपति दारा नियुक्त दमण और दीय सैंग राज्य क्षेत्र का प्रशासक आंभप्रेत है;
    - हैस है सण्ड हैस है में," बाम्ये प्रोहिधिशन एक्ट, 1949" शब्दों के स्थान पर "गोवा, दमण और दीव एक्साइज ह्यूटी एक्ट, 1964, जैसा वह दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र को लागू है" शब्द रसे जा∜गे,
    - १गई सण्ड १४, "स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956" शब्दों के स्थान पर " अनैतिक व्यापार धीनवारण १ आगोत्रियम, 1956" शब्द रंगे जारंगे;
    - १४ प सण्ड१ज१ में, "सरकार" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जास्गे;
    - §ड- बण्ड १ झ १ के स्थान पर निम्निलासत रसा जाएगा, अर्थान्ः-
      - ११ "अप्राधिकृत संरचना" से कोई ऐसी संरचना अभिप्रेत है जो ऐसे क्षेत्र में अधिकारि रखने याले अधिकारी या प्राधिकारी की वि गोवा, वमण रण्ड वीव लैण्ड रैवन्यू कोड, 1968, वि गोवा, वमण रण्ड वीव म्यूनिसिपिलिटिज रुक्ट, 1968, वि गोवा, वमण रण्ड दीव विलेज पंचायत रैग्यूलेशन रुक्ट, 1969, वि गोवा, दमण रुण्ड दीव टाउन रुण्ड केंद्री प्लानिंग रुक्ट, 1974, वि गोवा १ रखोलिशिन ऑफ

प्रोप्राष्टरशिप ऑफ विलेज है रेग्यूतेशन, 1962, वि दमण है स्त्रोतिशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप ऑफ विलेज है रेग्यूतेशन है अमैड मेन्ट है एक्ट 1968, वि गोया, दमण एण्ड दीय है स्वीतिशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप ऑफ तेण्ड इन दीय है एक्ट, 1971 के अधीन अपेक्षानुसार लिक्षित रूप में आंभ्राव्यक्त अनुशा के विना या ऐसे क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार के सिवाय सोन्तिमित की गई है।"

- 4. धारा 15 में, "बाम्बे जनरल क्लाजेज एक्ट, 1901 की धारा 21" शब्दों के स्थान पर, साधारण सण्ड अधिनियम, 1897 हैं 1897 का 10 हैं" शब्द रखे जाएंगे 1
- 5. धारा 18 में, "इस ओधनियम के प्रारम्भ पर और उसके पश्चात् सब्दों के स्थान पर "वमन और वीव संप राज्य क्षेत्र को इस अधिनियम के विस्तार पर और उसके पश्चात्" शब्द रहे जारंगे।
- 6. धारा 19 का लोप किया जारगा ।

#### उपानेष

गुजरात समाज-विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1985 है 1985 का गुजरात अधिनियम सं0 16 है, दमण और दीव संप राज्य क्षेत्र पर यथाबिस्तारित है ।

अवैध गराब व्यापारी, सतरनाक व्यक्ति, मादक द्रव्य अपराधी, अनेतिक व्यापार अवराधी और सेपांत हिंपियाने वाले व्यक्तियों का लोक व्यवस्था प्रतिकृत बनार रखने पर प्रभाव डातने वाले उनके समाज विरोधी और सतरनाक क्रिया-कलापों के नियारण के लिए निवारक निरोध का उपवध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छ्तीसर्वे वर्ष मैं निम्नीलीयत रूप में यह अधिनियमित हो :-

- - § 2 ह सका विस्तार संपूर्ण दमभा और वीव सेप राज्य क्षेत्र पर है ।
  - १३१ यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

## 2. परिमापाः

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यया अपेक्षित न हो -

- हुँक हैं "प्रशासक" से सैविधान के अनुरुवेद 239 के अधीन राष्ट्रपति दारा नियुक्त किया गया दभज और दीव संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत हैं।
- हैक कहें "प्राधिकृत अधिकारी" से धारा 3 की उपधारा है2 है के अधीन उस धारा की उपधारा है। है के अधीन प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करने के तिए प्राधिकृत कोई जिला मजिएट्रेट आभप्रेत है;
- १ "अवैष शराव व्यापारी" में ऑभग्नेन के ऐसा कोई व्यक्ति नो दमल और वीय तेष राज्य क्षेत्र पर लागू गोवा, वमन और दीव उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1964 और उसके अधीन वनार गए नियमों तथा आदेशों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी उपनेष के उत्तीपन में किसी तीकर, भावक औषधि था अन्य मादकों का आसृत चिनिर्माण, भण्डारण, परिव्रहन, आयात, निर्यात, विक्रय या वितरण करता है या जो जान-पूत्रकर उन र विधित किसी बात को अग्रसर करने में या उसके समर्थनके लिए किभी अन्य व्यक्ति के दारा या उसके माध्यम से फिसी धन का व्यय करता है या उसे लगाता है या किसी पर्द, यान, जलयान या अन्य सवारी या किसी पात्र या किसी भी अन्य सामग्री का प्रदाय करता है या किसी ऐसी बात को किसी अन्य रिवर्स करने में करने का दुन्नेरण करता है।
- हैगई "सतरनाक व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिग्रेत है जो भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या आयुध अधिनियम, 1959 के अध्याय 5 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध ग्यय या किसी गैंग के सदस्य या नेता के रूप में आदत्तन करता है या करने का प्रयास करता है या किए जाने का दुध्येरण करता है;
- अधि "निरोध आदेश" से थारा 3 के अधीन किया गया आदेश आंभप्रेत है;
- इंड-इं "निस्द व्यक्ति" से किसी निरोध आदेश के अधीन निस्द व्यक्ति आंभप्रेत है;
- १ च १ "औषांभ अपराधी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो-
  - ३। १ ओषि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 १ जिसे इसमें इसके पश्चात् "औषि अधिनियम" कहा गया है १ की धारा 10 के उल्लंघन में किसी औपाध का आयात करता है;

- है। । ई औपि अधिनियम की धारा । 8 के उत्लंघन में किसी औपांध का विक्रय के लिए बिनिर्माण करता है या उसका विक्रय करता है या विक्रयार्थ स्टाक करता है या प्रदर्शित करता है अध्या वितारित करता है।
- १।।। अरेषिय औधिनयम की धारा 33 प के उल्लंधन में किसी आयुर्भिदक किसके अन्तर्गत सिंग्न भी है है या यूनानी औषि का विक्रवार्थ थिनिर्माण करता है।
- \$11/8 ओपि ओपिय की पार: 33 ड. के उत्तीयन में 4-क के अधीन अनुजात किसी विनिर्माता दारा विनिर्मित से भिन्न किसी अपुर्वेदिक क्षेत्रसके अन्तर्गत सिंद भी है आ यूनानी औषिप का विक्रय करता है या विक्रयार्थ स्टाक करता है या प्रदर्शित करता है, अथवा वितरित करना है।
- § 1/ ई स्वापक औषीय और मन प्रमानी पदार्थ अधिनियम, 1985 की भारा 8 के उल्लैयन में किसी कोका के पौधे अधीम पोस्त या कैनेत्रिस के पौधे की वेती करता है या किसी स्वापक औषिय था मनः प्रमानी पदार्थ का उत्पादन, ।यानर्माण करता, विक्रय, क्रय, पोरवहन, भाण्डामारण, अन्तर्राञ्चिक, आयात, अन्तरराज्ञियय निर्यात, भारत में आयात, भारत से वाहर निर्यात या थानान्तरण करता है।
- § 1/1 है जानवूझकर उपसण्ड है। है से उपसण्ड है। / है मैं वर्णित किसी या उसके वात
  को अग्रसर करने मैं या उसके समर्थन के लिए किसी अन्य व्यक्ति के दारा
  या उसके माध्यम से किसी धन का व्यय करता है या उसका प्रदाप करता
  है।
- १।/।। उपलण्ड १। १ से उपलण्ड १।/। में वर्णित किसी बात को फिसी शांत से करने का बुख्रेरण करता है।
- १ृष्ठ≬ "अनैतिक व्यापार अपराधी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनैतिक व्यापार १ निवारण १
  अधिनियम, 1956 के अधीन आदतन कोई अपराथ करता है या करने का दुग्रेरण
  करता है।

**हज**ह

"संपति हथियाने वाला व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति, ऑभप्रेत है जो किसी ऐसी भूमि का अवैध कब्जा, तेता है जो उसकी स्वयं की नहीं है अधितु जो केन्द्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति की है या जो ऐसी भूमि की धायत अनेध आंभपूर्ति या इजाजत और अनुझदित करार या कोई अन्य करार करता है या गृंजित करता है या जो उसपर विक्रन्था या भाइा के लिए अप्राधिकृत संरचना का सिन्नर्भाण करता है या ऐसी भूमि को अप्राधिकृत संरचनाओं के सिन्नर्भाण या उपयोग और अक्षिप्रोग के लिए किराए या इजाजत और अनुझदित के आधार पर किसी व्यक्ति को देता है या जो जानवृद्ध कर किसी व्यक्ति को ऐसी भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए या उसपर अप्राधिकृत संरचना के सिन्नर्भाण के लिए वित्तीय सहायता देता है या जो आपराधिक अभिन्नास दारा ऐसी भूमि के किन्हीं अधिमोगियों से भाइा, प्रतिकर या अन्य प्रभार संग्रहीत करता है या करने का प्रयत्न करता है या जो विधिपूर्ण प्रिक्रना का गतारा लिए विना वल दारा ऐसे आंधभोगियों को वेदबल करता है या वेदाहत करने का प्रयत्न करता है या जो उपरत्न करते का प्रयत्न करता है या वेदाहत करने का प्रयत्न करता है या जो उपरांग करता है या वेदाहत करने का प्रयत्न करता है या जो उपरांग करता करता है या वेदाहत करने का प्रयत्न करता है या जो उपरांग करता करता करता है या वेदाहत करने का प्रयत्न करता है या जो उपरांग करता करता करता है या वेदाहत करने का प्रयत्न करता है या जो उपरांग करता करता है या जो उपरांग करता करता है या वेदाहत करने का प्रयत्न करता है या जो उपरांग करता करता है या वेदाहत करने का प्रयत्न करता है या जो उपरांग करने का प्रयत्न करता है या जो वेदाहत करने का प्रयत्न करता है या वेदाहत करता है या वेदाहत करता है या वेदाहता वेदाहत वेदाहत करता है या वेदाहत करत

श्रम "आप्राधिकृत संरचना" से अभिप्रेत है ऐसी कोई संरचना जिसका गोवा, दमण और दीव तैण्ड रेकेन्यू कोड, 1968, गोवा, दमण और दीव म्यूनिसिपिल्टी रक्ट 1968, गोवा, दमण और दीय खिलेज पंचायत रेग्यूलेशन रक्ट, 1969 गोवा, दगण और दीव टाइन रण्ड कन्द्री प्लानिंग रक्ट, 1974, दमण १रवालिशन ऑफ प्रोप्राइटरिशप ओफ थिलेजेज१ रेग्यूलेशन, 1962, दमण १रवालिशन ऑफ प्रोप्राइटरिशप ऑफ विलेजेज१ रेग्यूलेशन १ अमेण्डमेट१ रक्ट, 1968, गोवा, दमण और दीव १रवोतिशन ऑफ प्रोप्राइटरिशप ऑप तैण्ड्स इन ड्यू१ रक्ट, 1971 के अधीन अपेक्षित रेसे क्षेत्र में ओधकारिता रखने वाते अधिकारी या प्राधिकारी की अभिव्यक्त तिसित आज्ञा के विना या तत्समय प्रयुत्त फिसी अन्य विधिध के अनुसार के मिवाय, रेसे क्षेत्र में मोन्निमीण फिया गया है, या-

3 १ १ योद प्रशासक का किसी व्यक्ति की वायत यह समाधान हो जाता है कि लोक व्यवस्था बनार रखने पर प्रतिकृत प्रभाव डालने वाली किसी शीत से कोई कार्य करने से उसे निर्वासित करने की दृष्टिकोण रेसा करना आवश्यक है तो वह यह निदेश देने वाला आदेश कर सकेगा कि रेमा व्यक्ति निस्व किया जार ।

- \$2 \$ यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट की ऑधकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र

  मैं विषयान या विषयान होने के लिए सम्भाव्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते , पुर
  प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित
  आदेश दारा यह निवेश दे सकेगा कि यदि जिला मोजिस्ट्रेट का उपधारा १।१ मैं यथाउपचिंधत

  स्प मैं समाधान हो जाता है तो वह भी उक्त उपधारा द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग

  कर सकेगा!
  - श्व किसी पाधिकृत अधिकारी दारा इस पारा के अधीन कोई आदेश किया जाता है तो यह तुरन्त उस तथ्य की रिपोर्ट उन आधारों के साथ जिनपर आदेश किया गया के हैं है और ऐसी अन्य विशिष्टियों, सोहत जो उसकी राय में उस बात से संबंधित है प्रशासक को करेगा और ऐसा आदेश उसके किए जाने के पश्चात् बारह दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा । जब तक कि इस बीच उसका प्रशासक दारा अनुमोदन न कर दिया गया है।
  - इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी ब्लांक्न को "लोक ब्यवस्था बनाए रसने पर प्रातकृत प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करने वाला "तब समझा जाएगा जब ऐसा व्यक्ति चाहे अवैध शराब ब्यापारी, सतरनाक ब्यक्ति या औषधि अपराधी, अनैतिक ब्यापार अपराधी या सापित हथियाने वाले ब्यक्ति के रूप मैं संलग्न है या ऐसे किसी क्रिया-क्ताप में संलग्न होने की तैयारी कर रहा है जिससे तोक ब्यवस्था बनाए रसने मैं प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना है।

#### स्पटीकरनः-

इस उपधारा के प्रयोजन के तिर, लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभवना होना अन्य वार्तों के साथ-साथ तब समझा जारगा जब इस उपधारा में निर्विष्ट किसी व्यक्ति के रेसे किसी भी क्रिया-क्लाप रे आम जनता या उसके किसी भाग को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई हानि, मतरा या संज्ञास या असुर द्या की भावना अथवा जीवन सम्पति या जन स्वास्थ्य को गंभीर या व्यापक सतरा पहुंचा है या पहुंचने की संभावना है;

- 4. निरोध आदेश का निष्पादन दमण और दीव सैंघ राज्य क्षेत्र में फिसी भी स्थान पर दंड प्रक्रिया सीहता, 1973 में गिरफ्तारी बार्रट के निष्पादन के लिए उपत्रीधत रीति में किया जा सकेगा;
- 5. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वावत निरोध आदेश किया गया है:-

- हैक8 टेसे स्थान और ऐसी शर्नी के अभिन जैसाक प्रशासक, साधारण या निशेष आदेश दृश्या, विनिर्विष्ट करे जिसमें अनुशासन बनाम रसमा और अनुशासन मंग के लिए आहेत भी सीमालित है, निरुद्ध किए जाने, और
- हुल है वगण और वीव संघ राज्य क्षेत्र में निरोध के रूक स्थान से निरोध के दूसरे स्थान पर प्रशासक के आदेश से हटार आने के दायित्याधीन होगा ।
- 6. जहां फिसी व्यक्ति का धारा 3 के अधीन निरीध के आदेश के अनुसरण में निस्द किया गया है जो दो या अधिक आधारों पर किया गया है, वहां निरीध का आदेश प्रत्येक आधार पर पृथक मण से किया गया समझा जारूमा और तद्नुसार,--
  - १क) ऐसा आदेश केवल रक्त या कुछ अधारौ पर अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं समता नारगा-

३। ।

। । १

अविवयमानता

१।।/१ ऐसे व्यक्ति से सम्बद नहीं या सामीष्य रूप से सहयद नहीं है, या

१।/१ किसी अन्य कारणों से, जो भी हो आंचांधमान्य है।

अतः यह रीभव नहीं है कि प्रशासक या ऐसा आदेश करने नहीं अधिकारी का फिर गर निरोध आदेश के शेष आधार या अधारों के प्रतिनिर्देश से धारा 3 में यथाउपविधिन संगाधान हो गया हो

- १ मिरोध का आदेश करने वाले प्रशासक या अधिकारी के यारे में यह समया आरमा कि उसने उक्त थारा के अधीन निरोध का आदेश भेग आधार या आधारी के प्रशासनींश के उस थारा में यथाउपविधित समाधान ही जाने के पश्चात किया है ।
- 7. निरोध का कोई आदेश केवल इस कारण से ऑबोधमान्य या अपनार्ताचीय नहीं होना कि---
  - इसके अधीन निरोध क्या जाने बाला व्यांका सर्वाय देवल क्षेत्र दीत तथ राज्य क्षेत्र में भीतर है, आदेश करने वाले प्राधिकृत अधिकारी की क्षेत्रीय आधकारता से बाहर है, या
  - १स १ से व्यक्ति के निरोध का स्थान वर्षाप वसण और दीव सँग राज्य क्षेत्र के भीतर है, उक्त सीमाओं से बाहर है।

रहते हुए, ऐसे व्यक्ति और उसकी संपांत का बावन दंउ प्राक्रण संक्रिता, 1973 की पारा 82 से बारा 86 तक किया दोनों सीम्मोलन हैं के उपयंथ ताग होंगे और ऐसे स्थान का, जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, विचार किए विना उसके विस्त किया गया निरोध का आदेश सक्षम न्यायालय दारा जाने किया गया वारंट समना जाएगा । जहां निरोध का आदेश, यथारियांत, प्रशासक दारा और प्रशासक दारा इस निर्मात प्राधिकृत ऐसे अधिकारी दारा, जो जिला मिलिएंट की पीक्त से नीचे का न हो, किया गया है, या जहां निरोध का आदेश किसी प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी दारा किया गया है, वहां उसकी मामूलों अधिकारिता का विचार किए विना, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के लिए तथा दगल और दीय संग राज्य के किसी भाग में स्थित उसकी संपांत की कुर्वी तथा उसके निक्रय के लिए और उक्त धाराओं के अधीन कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए उद्योगणा जारी करने के लिए उक्त सीहता की धारा 82,83,04 और 85 के अधीन सक्षम न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मशका है, किसी ऐसे अधिकारी दारा कुर्क की गई संपांत के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन को नामंत्र करने नाले किए गए किसी आदेश के विस्ट अपील ऐसे सत्र न्यायालय की निराक्त अधिकारिता उस स्थान पर है जहां उक्त व्यक्ति मामूली तीर पर निवास करता है, होगा, नैसांफ उक्त सीहता की धारा गरर है जहां उक्त व्यक्ति मामूली तीर पर निवास करता है, होगा, नैसांफ उक्त सीहता की धारा

१ अहं रेसा व्यक्ति ऐसे आदेश का ध्यनन करने में असफत रहता हैं, वहां, जब तक कि वह यह साबित नहीं फरता है कि उसके लिए उसका पालन करना संभय नहीं था, और उसमें जादेश में विनिर्मित् अवंध के भीतर, आदेश में उल्लिमित अधिकारी की, उन कारणों के बारे में जिनके कारण उसका पालन करना असंभव हो गया था और अपने ठिकाने के बारे में सूबना दे वी थी या यह साबित करता है कि उसके लिए यह संभव नहीं था कि वह आदेश में उल्लिखित अधिकारी को ऐसी सूबना दे, वह, दोयसिंध पर, कारायास से, जिसकी अनी। एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, इंडनीय होगा।

- उक्त संहिता में किसी बात के होते हुए भी लण्ड १व१ के अधीन प्रत्येक अपराध संतेय
  होगा।
- 9. ११६ जब किसी व्यक्ति को निरोध के किसी आदेश के अनुमरण में निरुद किया जाता है
  तव आदेश करने बाला प्राधिकारी, उसे यथाशीप्र, किन्तु निरोध की तारीस से सात दिन के अपश्चात्
  ऐसे आधारों को जिनपर ऐसा आदेश किया गया है, सैसूचिन करेगा और उसे ऐसे आदेश के विस्ट
  प्रशासक को अभ्यावेशका के लिए शीप्र ही अवसर देगा ।
- 10. §। § प्रशासक, जब कभी आवश्यक हो, इस आंधानयम के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सलाहकार भोई गठित करेगा ।
  - \$2 । उपधारा । । की किसी वात से यह अपेक्षित नहीं होगा कि प्राधिकारी ऐसे तथ्यों को प्रकट करे जिन्हें वह प्रकट करना लोकांहत के विरुद्ध समझता है ।
  - १२१ प्रत्येक ऐसे बोर्ड में शध्यक्ष और दो ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो किसी उच्च न्यायालयके न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या जो भारत के सींत्रधान के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के आईत है:
- परन्तु ऐसे वोर्ड का अध्यक्ष यह व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायार्थाश है या न्यायार्थीश रहा है।
- 11. ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां इस अधिनियम के अधीन निरोध का कोई आदेश किया गया है प्रशासक, आदेश के अधीन किसी व्यक्ति को निरोध करने की तारील से तीन सप्ताह के भीतर, धारा 10 के अधीन उसके दारा गाँठत सत्ताहकार बोर्ड के समक्ष ऐसे आधार को, जिसपर आदेश किया गया है और आदेश दारा प्रभावित व्यक्ति दारा किया गया अध्यावेदन, योव कोई हो, तथा जहां आदेश किसी प्राधित त्योधकारी दारा किया गया है वही धारा 3 की उपधारा \$3 के अधीन ऐसे अधिकारी दारा की गई रिवोर्ट को भी रमेगा ।
- 12.818 सलाहकार बोर्ड, अपने समक्ष रसी गर्ड सामग्री पर विचार करने के पश्चात् तथा प्रशासक से या प्रशासक की मार्फ्त इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए विचार करने के पश्चात् तथा प्रशासक की मार्फ्त इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए विचार व्यक्ति से या निस्द व्यक्ति से ऐसी और जानकारी, जो वह आवश्यक समझे, मागने के पश्चात् और र्याद, किसी विशिष्ट मागते में, सलाहकार बोर्ड ऐसा करना आवश्यक समझे या योद निस्द व्यक्ति सुने जाने की बाह्य करे तो निस्द व्यक्ति की वैयक्तिक रूप से सुने जाने के पश्चात् निस्द व्यक्ति के निरोध की तारीय से सात सप्ताह के भीतर प्रशासक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

- \$2 इंगी कि निर्द व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं।
- § 3 इ. जब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में मतभेद हो तब ऐसे सदस्यों की बहुसीच्या की राय बोर्ड की राय समसी जाएगी।
- सताहकार वोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट, सिवार रिपोर्ट के उस
  भाग के जिसमें सलाहकार वोर्ड की राय विनिर्दिष्ट है, गोपनीय होगी ।
- इस धारा की किसी वात से कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके विश्व निरोध का आदेश किया गया है, किसी ऐसे विषय में, जो सलाहकार बोर्ड के प्रति निर्देश से संविधत है, किसी बिधि व्यवसायी दारा उपसैंजात होने का हकदार नहीं होगा ।
- 13. १६ किसी ऐसे मामते में, जहां सलाहकार बोर्ड ने यह रिपोर्ट की है कि उसकी राय में निस्द व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, प्रशासक निरोध के आदेश की प्रांष्ट कर मकेगा और निस्द व्यक्ति के निरोध को, धारा 17 दारा विहित आंधकतम अवधि से अनिधक अवधि के लिए, जैसा वह ठीक समझे, जारी रख सकेगा ।
  - \$2 के किसी ऐसे मामते में, जहां सताहकार बोर्ड ने यह रिपोर्ट की है कि उसकी राथ में संबद व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं, प्रशासक निरोध के आदेश की प्रतिसंहत करेगा और निसद व्यक्ति को तत्काल छोड़ाएगा ।
- 14. वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए किसी व्यक्ति को इस अधिनयम के अधीन किए गए निरोध के ऐसे आदेश के अनुसरण में, जिसकी धारा 13 के अधीन पुष्टि की जा चुकी है निरूद किया जा सकेगा, निरोध की तारील से एक वर्ष होगी।
- 15. \$1 \$ साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 \$1897 का 10 की उपर्यंथों पर प्रतिकृत प्रभाव हाले चिना, निरोध के आदेश को, किसी भी समय ऐसे कारणों से जो तेलबढ़ किए जाएंगे, प्रशासक दारा ऐसा होते हुए भी कि आदेश किसी प्राधिकृत अधिकारी दारा किया गया है, प्रतिसंहत या उपतिरित किया जा रफेगा ।
- \$2 है निरोध के किसी आदेश का हीनसे इसमें इसके पश्चात् इस उपधारा में "पूर्ववर्ती निरोध आहेश" कहा गया है अवसान या प्रतिसंहरण धारा 3 के अधीन उसी व्यक्ति के विस्ट निरोध का कोई अन्य आदेश हैं जिसे इसमें इसके पश्चात् इस उपधारा में "पश्चात्यर्ती निरोध आदेश" कहा गया है करने से वार्जत नहीं करेगा।

परन्तु किसी ऐसे मामते में, जहाँ ऐसे ब्यक्ति के विरुद्ध किए गए पूर्ववर्ती निरोध आदेश के अवसान या प्रतिसंहरण के पश्चात् कोई नए तथ्य उद्भूत नहीं हुए है, आधकतम अवाध, जिसके लिए ऐसे ब्यांस्त को पश्चात्निशि निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जा सकेगा, किसी भी दशा में, पूर्ववर्ती निरोध आदेश के अधीन निरोध की तारीब से वारह मास की अविध समाप्ति से परे नहीं बढ़ाई जाएगी।

- 16. १११ प्रशासक, किसी भी समय, ऐसे कारणों से जो लेखबद किए जाएंगे, यह निदेश दे सकेगा कि निरोध के आवेश के अनुसरण में, किसी निरुद ब्यायत की, किसी विनिर्देश अर्थाध के लिए शर्ता के बिना या निदेश में थिनिर्दिष्ट ऐसी शर्तो पर जो यह ब्यिलिट लीड़ वियो जाए और किसी भी समय उसके छोड़े जाने की रद्द कर सकेगा ।
  - \$2 है प्रशासक, उपधारा \$1 के शानि किसी निस्द त्यांक्र को छोड़ने का निर्देश देने मैं उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह निर्देश में विनिर्देष्ट शर्तों के सध्यक अनुपन्तलन के तिए प्रतिशृती साहत या उनके बिना एक वैधपत्र लिखे ।
  - § उपधारा १ । १ के अधीन छोड़ा गया कोई निस्द ज्यांक्त, यथांस्थिति, उसके लोई जाने का या
    छोड़े जाने को रद्व किए जाने का निदेश देने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट समय तथा स्थान पर और
    प्राधिकारी के समक्ष स्वयं को अर्ध्यार्थत करेगा ।
  - §4 ई यिव कोई निस्व व्यक्त उपधारा § 3 है विनिर्दिष्ट रीति से स्वयं को तर्याप्त कारण के
    विना अभ्योपित करने में असफ्त रहता है, तो वह, दोषींसींद पर, कारावास से, जिसकी अवोध दो
    वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।
  - § 5 इं योद उपधारा । १ के अधान छोड़ा गया कोई निम्द व्यक्ति उक्त उपधारा के अधान उसपर अधिरोपित या उसके दारा लिले गए वैधपत्र में की शर्तों में से किसी को पूरा करने में असफल रहता है, तो बैंधपत्र को समपहत घोषित कर दिया जारगा और उससे आवद कोई व्यक्ति उसकी शास्ति का सैदाय करने के वाधित्वाधीन होगा ।
- 17- इस औधनियम के अनुसरण में सद्भायपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशियत किसी वात के लिए कोई भी बाव, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्रशासक या किसी अधिकारी या व्यक्ति हो, विस्द नहीं होगी।

18. इस ऑधिनियम का दमण और दीव सेप राज्य क्षेत्र पर विस्तार किए जाने पर और उसके पश्चात् प्रशासक या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी दारा, राज्य क्षेत्र में किना चुंगी दिए शराब का व्यापार करने वाली, औषधि अपराधी, खतरनाक व्यक्ति, अनैतिक व्यापार अपराधी या संपीत्त हथियाने वाले की बावत, लोक व्यवस्था बनाए रसने पर प्रतिकृत प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करने से उसे रोकने के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अधीन निरोध का कोई आदेश नहीं किया जाएगा, जहां तक ऐसे व्यक्ति के निरोध के लिए इस अधिनियम के अधीन आदेश किया जा सकता हो।

[फा. से. यू-11015/2/93-यू. टी. एल. १183१] शार. आर. शाह, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 1995

G.S.R. No. 665(E). — In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Goa, Daman and Diu (Administration) Act, 1962 (1 of 1962), the Central Government hereby extends to the Union territory of Daman and Diu, the Gujarat Prevention of Anti Social Activities Act, 1985 (Gujarat Act No.16 of 1985) as inforce in the State of Gujarat at the date of this notification subject to the following modifications, namely:

## MODIFICATIONS

- 1. In the Gujarat Prevention of Anti Social Activities Act, 1985 unless the context otherwise requires, -
  - (a) for the word "Government" except in clause (h) of Section 2, and for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted;

- (b) for the word "Gujarat" except in the short title, the words "Union territory of Daman and Did" shall be substituted;
- (c) for the word "State" wherever it occurs, the words "Union territory of Daman and Diu" shall be substituted;
- (d) the words "or a Commissioner of Police" wherever they occur, shall be omitted.
- 2. In Section 1, sub-section(3) shall be substituted as under:-"(3) It shall come into force at once."
- 3. In Section 2. -
  - (a) clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before the clause (aa) as so renumbrered, the following clause shall be inserted, namely:-
    - "(a) "Administrator means the Administrator of the Union territory of Daman and Diu appointed by the President under article 239 of the Constitution.";
    - (b) in clause(b), for the words "Bombay Prohibition Act, 1949", the words "Goa, Daman and Diu Excise Duty Act, 1964, as applicable to the Union territory of Daman and Diu" shall be substitute.
    - (c) in clause(8), for the words "Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956", the words "Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956" shall be substituted;
    - (d) in clause(h), for the word "Government", the words "Central Government" shall be substituted;
    - (e) for clause(i) the following shall be substituted; namely:-
      - "(i) "unauthorised structure" means any structure constructed in any area without express permission in writing of the officer or authority having jurisdiction in such area

required under the Goa, Daman and Diu Land
Revenue Code 1968, the Goa, Daman and Diu
Municipalities Act, 1968 the Goa, Daman and Diu
Village Panchayat, Regulation Act, 1969, the
Goa, Daman and Diu Town and Country Planning
Act, 1974, the Daman (Abolition of Proprietorship
of Village) Regulation, 1962, the Daman
Abolition of Proprietorship of villages) Regulation
(Amendment) Act, 1968, the Goa, Daman and Diu
(Abolition of Proprietorship of Lands in Diu)
Act, 1971 or except in accordance with any other
law for the time being in force in such area!

- 4. In Section 15, for the words "Section 21 of the Bombay General Clauses Act, 1904", the words "the General Clauses Act 1897 (10 of 1897)" shall be substituted.
- 5. In Section 18 for the words "on and after the commencement of this Act", the words "on and after the extension of this Act to the Union Territory of Daman and Diu" shall be substituted.
- 6. Section 19 shall be omitted.

## ANNEXURE

The Gujarat Prevention of Anti Social Activities Act, 1985 (Gujarat Act No.16 of 1985) as extended to the Union Territory of Daman and Diu.

An Act to provide for prevention detention of bootleggers,

dangerous persons, drug offenders, immoral traffic offenders

and property grabbers for preventing their anti-social and

dangerous activities prejudicial to the maintenance of public order.

It is hereby enacted in the Thirty Sixth Year of the Republic of India as follows:

1. (1) This Act may be called the Gujarat Prevention of Anti-social Activities Act, 1985.

- (2) It extends to the whole of the Union Territory of Damar and Diu.
- (3) It shall come into force at onco.

## 2. <u>Definition</u>:

In this Act, minless the context otherwise requires-

- (a) "Administrator" means the Administrator of the
  Union territory of Daman and Diu appointed by
  the President under article 239 of the Constitution
  - (ac) "authorised officer" means a District Magistrate authorised under sub-section (2) of section 3 to exercise the powers conferred under sub-section (1) of that section:
  - (b) "bootleggers' means person a who distills. manufactures. stores. transports, imports, exports, sells or distributes any liquor, intoxicating drug or other intoxicant in contravention of any provision of the Goa, Daman and Diu. Excise Duty Act, 1964 as applicable to the Union territory of Daman and Diu and the rules and orders made thereunder, or of any other law for the same;

being in force or who knowingly expends or applies any money or supplies any animal, vehicle, vessel or other conveyance or any receptacle or any other material whatsoever in furtherance or support of the doing of any of the things

- described above by or through any other person, or who abets in any other manner the doing of any such thing:
- (c) "dangerous person" means a person, who either by himself or as a member or leader of a gang habitually commits, or attempts to commit or abets the commission of any of the offences punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code or any of the offences punishable under Chapter V of the Arms Act, 1959.
- (d) "detention order" means an order made under section 3;
- (e) "detenu" means a person detained under a detention order;
- (f) "drug offender" means a person who 
  (i) imports any drug in contravention

  of section 10 of the Drugs and

  Cosmetics Act, 1910 (hereinafter

  in this definition referred to

  as "the Drugs Act").
  - (ii) manufacturers for sale, or sells, or stocks or exhibits for sale, or distributes any drug in contravention of section 18 of the Drugs Act.

- (iii) manufacturers for sale any Ayurvedic (including Siddha) or Unani drug in contravention of section 33D of the Drugs Act.
  - (iv) sells, or stocks or exhibits for sale or distributes any Ayurvedic (including Siddha) or Unani drug other than that manufactured by a manufacturer licensed under under IV-A in contravention of section 33E of the Drugs Act.
  - cultivates any coca plant, opium (v) poppy or cannabis plant or produces. manufactures, possesses, sells, purchases, transports, warehouses, imports inter-state exports inter-State imports India, exports from India or tranships any narcotic drug or psychotropic substance in contravention of section 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985.
  - (vi) knowingly expends or supplies any money in furtherance or support of the doing of any of the things mentioned in any of the sub clauses (i) to (v) by or through any other person,

- (vii) abets in any manner the doing of any of the things mentioned in any of the subclauses (i) to (vi);
- (g) "immoral traffic offender" means persons who habitually commits or abets the commission of any offence under the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.
- (h) "property grabber" means a person who illegally takes possession of any land not belonging to himself but belonging to Central Government, local authority or any other person or enters into or creates illegal tenancies or leave and licence agreements or any other agreements respect of such lands or who constructs unauthorised structures thereon for sale or hire or gives such lands to any person on rental or leave and licence basis for construction or use and occupation unauthorised structures or who knowingly gives financial aid to any person for taking illegal possession of such lands or for construction of unauthorised structures thereon or who collects or attempts to collect from any occupiers of such lands rent, compensation or other charges criminal intimidation or who evicts or attempts to evict any such occupiers by

force without resorting to the lawful procedure or who abets in any manner the doing of any of the above mentioned things;

- (i) "unauthorised structure" means any structure constructed in any area without express permission in writing of the Officer or authority having jurisdiction in such area required under the Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968, the Goa, Daman and Diu Municipalities Act, 1968, the Goa, Daman and Diu Village Panchayat Regulations Act, 1969, the Goa, Daman and Diu Town and Country Planning Act, 1974, the Daman (Abolition of Proprietorship of Villages) Regulations, 1962, the Daman (Abolition of Proprietorship of Villages) Regulations (Amendment) Act, 1968, the Goa, Daman and Diu (Abolition of Proprietorship of Lands in Diu) Act, 1971 or except in accordance with any other law for the time being in force in such area.
- (1) The Administrator may if satisfied with respect to any person that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order, it is necessary so to do, make an order directing that such person be detained.
- (2) If, having regard to the circumstances prevailing or likely to prevail in any

area within the local limits of the jurisdiction of a District Magistrate the Administrator is satisfied that it is necessary so to do, he may, by order in writing direct that the District Magistrate may also, if satisfied as provided in sub-section (1), exercise the powers conferred by the said sub-section.

- When any order is made under this section by an authorised officer he shall forthwith report the fact to the Administrator together with the grounds on which the order has been made and such other particulars as, in his opinion, have a bearing on the matter, and no such order shall remain in force for more than twelve days after the making thereof, unless, in the meantime, it has been approved by the Administrator.
- shall be deemed to be "acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order " when such person is engaged in or is making preparation for engaging in any activities whether as a bootlegger, dangerous person or drug offender or Immoral Traffic offender or property grabber, which affect adversely or are likely to affect

adversely the maintenance of public order.

Explanation: For the purpose of this sub-section, public order shall be deemed to have been affected adversely or shall be deemed likely to be affected adversely inter alia if any of the activities of any person referred to in his sub-section directly or indirectly, is causing or is likely to cause any harm, danger or alarm or feeling of insecurity among the general public or any section thereof or a grave or widespread danger to life, property or public health.

- 4. A detention order may be executed at any place in the Union Territory of Daman and Diu in the manner provided for the execution of warrant of arrest under the Code of Criminal Procedure, 1973.
- 5. Every person in respect of whom a detention order has been made shall be liable -
  - (a) to be detained in such place and under such conditions, including conditions as to maintenance, discipline and punishment for breaches of discipline, as the Administrator may, by general or special order, specify; and
  - (b) to be removed from one place of detention to another place of detention, within the Union Territory of Daman and Diu by order of the Administrator.

- of an order of detention under section 3 which has been made on two or more grounds, such order of detention shall be deemed to have been made separately on each ground and accordingly
  - (a) such order shall not be deemed to be invalid or inoperative merely because one or some of the grounds is or are -
    - (i) vague,
    - (ii) non-existent.
    - (iii) not-relevant
    - (iv) not connected or not proximately connected with such person, or
    - (v) invalid for any other reason what-

and it is not, therefore, possible to hold that the Administrator or the officer making such order would have been satisfied as provided in section 3 with reference to the remaining ground or grounds & made the order of detention:

(b) the Administrator or the officer making the order of detention shall be deemed to have made the order of detention under the said section after being satisfied as provided in that section with reference to the remaining ground or grounds.

- 7. No detention order shall be invalid or inoperative merely by reason --
  - (a) that the person to be detained thereunder, though, within the Union Territory of Daman and Diu is outside the territorial jurisdiction of the authorised officer making the order, or
  - (b) that the place of detention of such person though, within the Union Territory of Daman and Diu is outside the said limits.
- 8. If the Administrator or any authorised officer (1)has reason to believe that a person in respect of whom a detention order has been made has absconded, or is concealing himself so that the order cannot be executed, than the provisions, of section 82 to 86 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure 1973, shall apply in respect of such person and his property, subject to the modifications mentioned in this sub-section and, irrespective of the place where such person ordinarily resides, the detention order made against him shall be deemed to be warrant issued by a competent Court. Where detention order is made by the Administrator and Officer not below the rank of a District Magistrate authorised by the Administrator in this behalf, or where the detention order is made by an authorised officer, the authorised Officer, as the case may be, shall,

irrespective of his ordinary jurisdiction, deemed be empowered to exercise tç all powers of the competent Court under sections 82, 83, 84 and 85 of the said Code for issuing a proclamation for such person and for attachment and sale of his property situated in any part of the Union Territory of Daman and Diu Territory and for taking any other action under the said sections. An appeal from any order made by any such officer rejecting an application for restoration of attached property shall lie to the Court of Session having jurisdiction in the place the said person ordinarily resides, as provided in section 86 of the said Code.

- (2) (a) Not withstanding anything contained in sub-section
  - (1) if the Administrator or an authorised officer has reason to believe that person in respect of whom a detention order has been made has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed, Administrator or the officer. as the case may be, may by order notified in the OFFICIAL GAZETTE. direct said person the to appear before such officer, at such place and within such period as may be specified in the order.

- (b) such person fails to with such order, then unless he proves jt 2.5Wnot possible for comply therewith, and had, within the period specified in the order, informed the officer mentioned in the order of the reasons which rendered compliance therewith impossible and of his whereabouts, proves that it was not possible for him to so inform the officer mentioned in the order, he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.
- (c) Notwithstanding anything contained in the said Code, every offence under clause (b) shall be cognizable.
- 9. (1) When a person is detained in pursuance of a detention order the authority making the order shall, as soon as may be, but not later than seven days from the date of detention, communicate to him the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order to the Administrator.
  - (2) Nothing the sub-section (1) shall require the authority to disclose facts which it

considers to be against the public interest to disclose.

- 10. (1) The Administrator shall whenever necessary constitute one or more Advisory Boards for the purpose of this Act.
  - and two other members who are, or have been Judges, of any High Court or who are qualified under the Constitution of India to be appointed as Judges of a High Court:

    Provided that the Chairman of such Board shall be a person who is, or has been, a Judge of a High Court.
- In every case where a detention order has been made under this Act the Administrator shall, within three weeks from the date of detention of a person under the order, place before the Advisory Board constituted by him under section 10 the ground on which the order has been made and the representation, if any, made by the person affected by the order, and where the order has been made by an authorised officer, also the report made by such officer under sub-section (3) of section 3.
- 12. (1) The Advisory Board shall, after considering the materials placed before it and, after calling for such further information as it

may deem necessary from the Administrator or from any person called for the purpose through the Administrator or from the detenu and if, in any particular case, the Advisory Board considers it essential so to do or if the detenu desires to be heard after hearing the detenu in person, submit it report to the Administrator within seven we hear from the date of detention of the detenu.

- (2) The report of the Advisory Board shall specify in a separate part thereof the opinion of the Advisory Board as to whether or not there is sufficient cause for the detention of the detenu.
- (3) When there is a difference of opinion among the members forming the Advisory Board the opinion of the majority of such members shall be deemed to be the opinion of the Board.
- (4) The proceedings of the Advisory Board and its report excepting that part of the report in which the opinion of the Advisory Board is specified shall be confidential.
- (5) Nothing in this section shall entitle any person against whom a detention order has been made to appear by any legal practitioner

in any matter connected with the reference to the Advisory Board.

- 13. (1) In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion, sufficient cause for the detention of the detent, the Administrator may confirm the detention order and continue the detention of the detenu for a period, not exceeding the maximum period prescribed by section 14 as it thinks fit.
  - (2) In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion, no sufficient cause for the detention of the person concerned, the Administrator shall revolve the detention order and cause the detention be released forthwith.
- 14. The maximum period for which any person may be detained in pursuance of any detention order made under this Act which has been confirmed under section 13, shall be one year from the date of detention.
- 15. (1) Without prejudice to the provisions of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) a detention order may, at any time for reasons to be recorded writing, be revoked or modified by the Administrator

notwithstanding that the order has been made by an authorised officer.

(2) The expiry or revocation of a detention order (hereinafter in this sub-section referred to as "the earlier detention order") shall not bar the making of another detention order (hereinafter in this sub-section referred to as "the subsequent detention order") under section 3 against the same person:

Provided that in a case where no fresh facts have arisen after the expiry or revocation of the earlier detention order made against such person, the maximum period for which such person may be detained in pursuance of the subsequent detention order shall in no case extend beyond the expiry of a period of twelve months from the date of detention under the earlier detention order.

- 16. (1) The Administrator may, at any time, for reasons to be recorded in writing, direct that any person detained in pursuance of a detention order may be released for any specified period, either without conditions or upon such conditions specified in the direction as that person accepts, and may, at any time, cancel his release.
  - (2) In directing the release of any detenu under sub-section (1) the Administrator may require him to enter into a bond, with or without

sureties, for the due observance of the conditions specified in the direction.

- (3) Any detenu released under sub-section
  (1) shall surrender himself at the time and place, and to the authority, specified in the order directing his release or cancelling his release, as the case may be.
- (4) If any detenu fails without sufficient cause surrender himself in the manner specified in sub-section (3), he shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
- (5) If any detenu released under sub-section
  (1) fails to fulfil any of the conditions imposed upon him under the said sub-section or in the bond entered into by him, the bond shall be declared to be forfeited and any person bound thereby shall be liable to pay the penalty thereof.
- 17. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Administrator or any officer or person, for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.
- 18. On and after the extension of this Act to the Union territory of Daman and Div, no

Juder. detention under the National shall be made by the Administrator Act, 1980 or any officer subordinate to him in respect of any hootlegger, drug offender, dangerous person, immoral traffic offender. or property in the Territory on the ground of preventing him from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order, in so far as an order under this Act, could be made for detention of such person.

> [F. No. U-11015/2/93-UTL/183] R. R. SHAH, Jt. Secy.